न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0/3778/2018/सतना/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 07-06-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरणक्रमांक 244/अपील/2017-18

रामभद्र पाण्डेय पिता चिंतामन पाण्डेय
निवासी ग्राम करतहा, तहसील मैहर, जिला सतना ---**आवेदक**

विरूद्ध

1- कृष्णानंद पिता स्व0 श्री शिवनारायण पाण्डेय
2- श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी स्व0श्री शिवनारायण पाण्डेय
3- चन्दकांत पिता स्व0 श्री शिवनारायण पाण्डेय
4- कृष्णा पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पाण्डेय
5- शिवकुमारी पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पाण्डेय
6- विनीत ापुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पाण्डेय
7- द्रोपदीबाई बेवा कौशलप्रसाद (फौत)
8- रामनारायण पुत्र कौशलप्रसाद
9- रामानुज पुत्र कौशलप्रसाद
10- चंद्रिकाप्रसाद पुत्र कौशलप्रसाद
11- चूडामन पुत्र कौशलप्रसाद
12- रानीबाई बेवा गोविंदप्रसाद
13- कुसुम बेवा ध्रुवकुमार
14- उत्तमकुमार पिता गोविंदप्रसाद
15- प्रहलाद पिता गोविंदप्रसाद
16- हनुमानप्रसाद पिता गोविंदप्रसाद
सभी निवासी ग्राम करतहा, तहसीलमैहर,

जिला सतना, म0प्र ---अनावेदकगण

-2- प्र0क्र0 निग0/3778/2018/सतना/भू0रा0

श्री ए0के0 द्विवेदी, अधिवक्ता-आवेदक
श्री व्ही0के0 शुक्ला, अधिवक्ता-अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 29.6.19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-06-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रं0-1 के पिता शिवनारायण के द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम करतहा, तहसील मैहर की आराजी क्रं0 618 रकवा 2.613 हे0 पर आवेदक के पिता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार ने आपत्तियों का निराकरण करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई किये जाने के पश्चात बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-02-17 के विरूद्ध अनावेदक क्रं0-1 कृष्णानंद के द्वारा आराजी क्रं0 618 के संबंध में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। एस0डी0ओ0 द्वारा सुनवाई उपरांत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर उल्लिखित किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक भले ही कब्जेदार है लेकिन बगैर स्वत्व धारण किये उसके पक्ष में बटवारा की कार्यवाही विधि विरूद्ध है इसलिये उनके द्वारा तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त किया गया। प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा सुनवाई उपरांत आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपील

को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-06-18 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- प्रकरण में उभय पक्ष के अंतिम तर्क सुने गये। आवेदक व अनावेदक क्रं-1 द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया गया। आवेदक का मुख्य तर्क है कि मौके पर उसका कब्जा प्रमाणित है अनावेदक क्रं0-1 का कोई कब्जा नहीं है इसलिये महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 178 के तहत क्या कब्जाविहीन व्यक्ति के नाम नामांतरण किया जा सकता है? किंतु अपीलीय न्यायालयों ने इस बिंदु पर कोई प्रकाश न डालकर मनमाना आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय में असचेदक द्वारा पक्षकार बनाये जाने के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रं0-1 द्वारा कोई अपील या निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई इस से सिद्ध होता है कि उसे आवेदक को पक्षकार बनाये जाने एवं बटवारा आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। आवेदक द्वारा यह महत्वपूर्ण न्यायिक उद्धरण भी प्रस्तुत किया :- म0प्र0 राज्य विरूद्ध बलबीर सिंह 2001 राजस्व निर्णय 343 में माननीय उच्च न्यायालय ने रजस्व न्यायालयों को भूमिस्वामी की जानकारी में 12 वर्ष से अधिक के खुलेआम एवं निरंतर कब्जे के आधार पर हक उद्भूत होने से राजस्व न्यायालयों को नामांतरण करने की जिम्मेदारी बताया गया है और इसी आधार पर गायत्री देवी वगैरह बनाम त्रिलोचन कौर 2015 राजस्व निर्णय 504 में राजस्व मण्डल द्वारा भी विरोधी अधिपत्य के आधार पर राजस्व न्यायालयों को नामांतरण की अधिकारिता होने की पुष्टि की है। इसलिये इस आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित किया गया बटवारा आदेश वैध एवं वरिष्ठ न्यायालयों के उक्त न्यायालयों के अनुरूप होने से पुष्ट किये जाने योग्य है।

3- अनावेदक द्वारा मुख्य तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा सह खातेदारों के मध्य ही हो सकता है कब्जे के आधार पर

नहीं। इसलिये अपर आयुक्त द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है अतः निगरानी खारिज की जावे ।

4- मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया तथा रिकार्ड का पारिशीलन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी क्र. 618 शासकीय अभिलेख में किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2007-08 में आवेदक के स्वत्व में दर्ज नहीं है। बल्कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो खसरे की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। उसमें आवेदक के बाबा सुरेश प्रसाद पश्चात में पिता चिन्तामन एवं वर्तमान में आवेदक रामभद्र का कब्जा चला आ रहा है, किंतु जहां तक बंटवारे का प्रश्न है वह स्वत्व के आधार पर निहित होता है। संहिता की धारा 178 के अनुसार भले ही आवेदक विवादित भूमि का कब्जेदार है, किंतु वगैर स्वत्व का धारण किए उसके पक्ष में बंटवारा की कार्यवाही अनुचित व विधि विपरीत है। उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है, जो उचित है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक स्वत्व क निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर